

-:: आदेश ::-

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम बार्ड जयपुर के पत्र क्रमांक प.12/15/RSR/2015 दिनांक 12/01/2015 के अन्तर्गत पत्र क्रमांक प.12/15/RSR/2015 दिनांक 12/01/2015 के द्वारा पटवारी सीवी भर्ती परीक्षा-2015 में आंशिक रूप से चयनित 07 अभ्यर्थी की सूची संलग्न कर इनकी पटवारी पद पर नियुक्ति की जाने के निर्देश दिये गये हैं। अतः यह नियुक्ति कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: 7(2)कार्मिक/क-2/2005 दिनांक 20.1.2006 के अनुसार एवं राजस्थान लैण्ड रेवन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स, 1957 के नियम-4 एवं तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना/निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शासित होगी एवं समय समय पर जारी किये गये निर्देश परिपत्र लागू होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को पटवारी पद पर उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रोवेशन ट्रेनी के रूप में अन्तरिम रूप से नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9454/2017 देवेन्द्रसिंह मेहता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा इस याचिका के साथ संलग्न अन्य याचिकाओं, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8402/2017 मनीष चौधरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8454/2017 श्रवण स्वामी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8829/2017 ओम प्रकाश खावा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15538/2017 मोहिनी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11711/2017 मनीष विश्णोई बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8263/2017 रोहिताश बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7870/2017 भोमाराम बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13151/2017 पूनम कंवर बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8110/2017 शंकर लाल डूडी बनाम राजस्थान राज्य, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18032/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 16106/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17676/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18049/2017, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18326/2017, 10360/2017, 9735/2017, 10549/2017, 12009/2017, 11875/2017, 11874/2017, 11788/2017, 11878/2017, 11881/2017, 11877/2017, 11876/2017, 11879/2017, 8402/2017, 8413/2017, 8133/2017, 12552/2017, 12551/2017, 10690/2017, 11538/2017, 15109/2017, के निर्णय के अध्याधीन रहेगी। तथा नियम 5 के परन्तुक (i) के अनुसार नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नवीनतम दरों पर संदत्त किया जाएगा एवं अन्य शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अन्तर्गत संदत्त होगी। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने व दो वर्ष की परीक्षाकाल सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएं नियमित करने की कार्यवाही की जावेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात् होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएं नियमित नहीं की जायेगी। उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ.12(6)एफ.डी. (रूल्स) 05 दिनांक 13.3.2006, एफ.13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 13.3.2006, एफ.16(2)एफ./रूल्स/ 98 दिनांक 13.3.2006, एफ.16(6)एफ.डी.(रूल्स) 98 दिनांक 13.3.2006, एफ.1(2)एफ.डी.रूल्स/2006 दिनांक 13.3.2006, एफ.6 (6)एफ.डी./रूल्स/2005 दिनांक 13.3.2006 के तहत प्रभावित होगी:-

क्र.सं.	रोल न.	मेरिट न.	चयन श्रेणी	नाम	पिता का नाम	डाक का पता	जन्म दिनांक
1	178934	8709	सा. महिला	रोशनी देवी	धर्मपाल	ग्राम पो0-हमीरवास तहसील राजगढ जिला चूरु (राजस्थान)	10-NOV-1990
2	185954	9368	अनुसूचित जाति पुरुष	अमरजीत सिंह	सधुरा सिंह	ग्राम-62एफ. पो0-61एफ. त0 श्रीकरणपुर, श्रीकरणपुर, जिला-गगानगर (राजस्थान)	6-JUL-1992
3	158240	15430	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अंकित कुमार मीना	जीवन राम मीना	मकान न0 124, गली न0 01, सरसवती कॉलोनी रोटेदा रोड कोटा, जिला-कोटा (राजस्थान)	12 -JUL-1990
4	172916	15521	अनुसूचित जनजाति पुरुष	देशराज मीना	मीठा लाल मीना	ग्राम- रामसिंहपुरा, पोस्ट-रालावता, त0 दौसा, जिला दौसा (राजस्थान) मो0	03-JAN-1996
5	182358	15540	अनुसूचित जनजाति पुरुष	नोरत राम मीना	हरपाल मीना	ग्राम. पो. सतवाड़ा ग्राम पो0 सतवाड़ा तह0 दूनी, जिला- टोंक (राजस्थान) मो0 न0	15-AUG-1985
6	161892	15613	अनुसूचित जनजाति पुरुष	अनुराग मीना	राम लाल मीना	ग्राम पो0 साखेना, त0 टोंक जिला- टोंक, (राजस्थान)	21-JUL-1994
7	158891	15961	अनुसूचित जनजाति पुरुष	गिरराज प्रसाद मीना	लल्लु राम मीना	ग्राम-कौकरेल, पो0-खोरा मीना, वाया-आमेर, तह0 आमेर, जिला- जयपुर	05-APR-1996

उक्त अन्तरिम नियुक्ति आदेश अभ्यर्थी द्वारा निम्नांकित शर्तें पूर्ण नहीं करने की स्थिति में बिना कोई सूचना दिये स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

1. अभ्यर्थी को दिनांक 18.01.2019 तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर सत्यापन हेतु विस्तृत आवेदन पत्र के संलग्न सम्स्त मूल दस्तावेजों एवं फोटो प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय राजस्थान सेवा नियम के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा किन्तु महिलाओं के संबंध में सक्षम अधिकारी किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्ध पत्र (बॉन्ड) प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरान्त राज्य सरकार के अधीन पटवारी के पद पर कम से कम तीन वर्ष की सेवाएँ अर्पण करनी होगी अन्यथा प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त धनराशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।
4. पुलिस विभाग से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र में सद्चरित्र नहीं पाये जाने की स्थिति में संबंधित की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

जिला कलेक्टर (भू.अ.)

चूरु

क्रमांक :- सम/ 167-187

दिनांक :- 12-1-2019

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निबन्धक महोदय, राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर।
2. सम्भागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी चूरु/सुजानगढ़ को भेजकर निवेदन है, कि उक्त अभ्यर्थियों के उपस्थित होने पर उसी दिन स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने का श्रम करावें।
4. ~~सूचना~~ निदेशक सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग चूरु को जिले की साईट पर अपलोड करने हेतु
5. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी चूरु
6. श्री
7. व्यक्तिगत पत्रावली श्री
8. आदेश पत्रावली।

प्रमारी अधिकारी
भू-अभिलेख शाखा
कलेक्ट्रेट, चूरु